

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
3. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
4. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 04 जनवरी, 2022

विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-553/रा0उ0शि0प0/02/2021, दिनांक 29.12.2021 एवं पत्र संख्या-557/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 29.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्न विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू0 14,81,000/- (रुपये चौदह लाख इक्यासी हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोग्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं प्रगति रिपोर्ट शासन तथा उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं शोध कार्य के आउट कम शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।
5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
 9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।
 10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
 11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
 12. प्रश्नगत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएंगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएंगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।
- 2- इस निमित्त होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800 अन्य व्यय-13-प्रदेश के महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2022/01(1)/सत्तर-4-2022-4(28)/2021 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय।
7. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
एस० पी० मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-1/2022/01/सत्तर-4-2022-4(28)/2021 दिनांक 04/01/2022 का संलग्नक

क्र०सं०	प्रमुख शोधकर्ता/विभाग का नाम	शीर्षक	मदवार संस्तुत धनराशि	
			मद	धनराशि
1	2	3	4	5
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ				
1	Dr. Syed Haider Ali (Department of Business Administration and Department of Journalism & Mass Communication)	A Study of SWAYAM MOOCs platform's Contribution in Provideing E-Learning Opportunities to the Students Pursuing Higher Education	अनावर्ती व्यय	25000
			मैन पावर	25000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोज्य सामग्री	25000
			ओवर हेड चार्ज	12500
			योग	137500
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी				
2	Dr. SAURABH SHRIVASTAVA (Department of Mathematical Sciences and Computer Application)	Assessment of Network Application Vulnerability and Development of Optimization Model for Organizational Network (Internet).	अनावर्ती व्यय	200000
			मैन पावर	150000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	25000
			ओवर हेड चार्ज	40000
			योग	440000
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर				
3	Prof. Rajarshi Kumar Gaur (Department of Biotechnology)	Under state of the art Infrastructure for the Development of Virology Laboratory	उपकरण	200000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	25000
			ओवर हेड चार्ज	26000
			यात्रा/फील्ड वर्क	10000
			योग	286000
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर				
4	Dr. Amrendra Kumar Singh (Department of Chemistry)	"Synthesis, Characterization and evaluation of biological activities of Novel Isoxazole(s) derivatives, from Sugar"	अनावर्ती व्यय	250000
			आकस्मिकता	10000
			उपभोज्य सामग्री	25000
			यात्रा व्यय	10000
			ओवर हेड चार्ज	29500
			योग	324500
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर				
5	Dr. Siddhartha kumar Mishra (Department of Life Science)	A Perspective Observational Study for Seroprevalence Profile of SARS-CoV-2 Infection in Diabetic and Cardiovascular Patients	मैन पावर	96000
			आकस्मिकता	50000
			केमिकल एवं उपभोज्य सामग्री	137000
			यात्रा/फील्ड वर्क	10000
			योग	293000
			महायोग	1481000

(रूपये चौदह लाख इक्यासी हजार आठ सौ बत्तीस मात्र)

सर्वेश कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव।

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।